न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।
प्रकीर्ण आपराधिक वाद संख्या 106 सन् 2022
अमित रावत बनाम सरकार

<u>दिनांकः 05.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी उपस्थित। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन की आख्या प्राप्त। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फौजदारी वाद संख्या 02 सन् 2022 सरकार बनाम अमित रावत न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन में लम्बित है, अभियुक्त स्थान काशीरामपुर तल्ला थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल का स्थाई निवासी है और पूर्व में उसका पॉव फैक्चर हुआ था और उसे गम्भीर चोटें आयी थी जिस कारण उसे लैन्सडाउन आने जाने में असुविधा हो रही है जिससे उसका मामला स्थान कोटद्वार में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन से आख्या तलब किया गया जिन्होंने ई–मेल से अपने पत्र दिनॉकित 05.11.2022 द्वारा आख्या दी गयी है कि उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा 189, 353, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 लम्बित है जिसमें अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिए पत्रावली दिनॉक 10.11.2022 हेतु नियत है, उन्हें उक्त वाद को स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त थाना क्षेत्र कोटद्वार का निवासी है और अस्वस्थ है जिसको पॉव फैक्चर होने से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लैन्सडाउन में आने आने में असुविधा होना बताया गया है। ऐसे में न्यायालयसिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 02 सन् 2022 सरकार बनाम अमित रावत अन्तर्गत धारा 189, 353, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 विधिनुसार निस्तारण हेतु वापस ले कर न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के न्यायालय को विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाता है।

न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन उक्त पत्रावली को अविलम्ब न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार को भेजना सुनिश्चित करें।

अविलम्ब उक्त आदेश का अनुपालन हो। इस आदेश की प्रति अनुपालनार्थ न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन एवं न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार को प्रेषित की जाय।

तदनुसार, प्रकीर्ण आपराधिक वाद निस्तारित किया जाता है।

दिनॉक 05.11.2022

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।